भारत सरकार

महिला एवं बाल विकास मंत्रालय

**राज्‍य सभा**

**अतारांकित प्रश्‍न संख्‍या 2228**

दिनांक 12 मई, 2016 को उत्‍तर के लिए

**दहेज प्रतिषेध अधिनियम के क्रियान्वयन का आकलन**

**2228. श्रीमती रजनी पाटिलः**

क्या **महिला एवं बाल विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) पिछले दो वर्षों के दौरान दहेज के संबंध में दर्ज किए गए मामले, इनमें आरोप सिद्धि की दर तथा ऐसे मामलों में मरने वाली/उत्पीडि़त होने वाली महिलाओं का राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार ने विभिन्न राज्यों में दहेज प्रतिषेध अधिनियम को लागू किए जाने के प्रभाव का कोई मूल्यांकन किया है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और उक्त अधिनियम का समुचित कार्यान्वयन सुनिश्चित करने के लिए क्या कार्रवाई की गई है?

**उत्तर**

**श्रीमती मेनका संजय गांधी महिला एवं बाल विकास मंत्री**

(क) : राष्‍ट्रीय अपराध रिकार्ड ब्‍यूरो (एनसीआरबी) के आंकड़ों के अनुसार 2013 और 2014 के दौरान दहेज प्रतिषेध अधिनियम, 1961 के तहत क्रमश: कुल 10709 तथा 10050 मामले दर्ज किए गए हैं । इसी तरह 2013 और 2014 के दौरान देश में दहेज मृत्‍यु के पंजीकृत मामलों की कुल संख्‍या क्रमश: 8083 और 8455 थी। 2013 और 2014 के दौरान दहेज प्रतिषेध अधिनियम, 1961 के तहत पंजीकृत मामलों की संख्‍या एवं दोषसिद्धि की दर तथा दहेज मृत्‍यु (आईपीसी 304 ख) का राज्‍य/संघ राज्‍य क्षेत्र-वार ब्‍यौरा **अनुलग्‍नक** में दिया गया है ।

(ख) और (ग) : मंत्रालय दहेज प्रतिषेध अधिनियम, 1961 के कारगर कार्यान्‍वयन के लिए समय-समय पर राज्‍यों/संघ राज्‍य क्षेत्रों के साथ समीक्षा करता है। इसके अतिरिक्‍त भारत सरकार कार्यशाला, मेला, सांस्‍कृतिक कार्यक्रम, सेमीनार, प्रशिक्षण कार्यक्रम आदि के माध्‍यम से दहेज प्रतिषेध अधिनियम, 1961 सहित महिलाओं से संबंधित विभिन्‍न कानूनों पर नियमित रूप से जागरुकता सृजन कार्यक्रमों एवं प्रचार अभियानों का आयोजन करती है । महिलाओं के अधिकारों से संबंधित कानूनों पर जागरुकता पैदा करने के लिए प्रिंट एवं इलैक्‍ट्रॉनिक मीडिया में नियमित रूप से विज्ञापन दिए जाते हैं ।

\*\*\*\*\*

**अनुलग्‍नक**

**‘दहेज प्रतिषेध अधिनियम के क्रियान्वयन का आकलन’ पर श्रीमती रजनी पाटिल द्वारा दिनांक 12 मई, 2016 को पूछे जाने वाले राज्‍य सभा अतारांकित प्रश्‍न संख्‍या 2228 के उत्‍तर के भाग (क) में संदर्भित विवरण**

**2013 और 2014 के दौरान दहेज प्रतिषेध अधिनियम, 1961 के तहत पंजीकृत मामलों (सीआर), दोषसिद्धि की दर तथा सूचित की गई दहेज मृत्‍यु (आईपीसी 304 ख) की संख्‍या**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | **दहेज प्रतिषेध अधिनियम, 1961** | **दहेज मृत्‍यु** |
|  |  | **2013** | **2014** | **2013** | **2014** |
| **क्र.सं.**  | **राज्‍य/संघ राज्‍य क्षेत्र** | **पंजीकृत** **मामले**  | **दोषसिद्धि दर**  | **पंजीकृत मामले**  | **दोषसिद्धि दर**  | **पंजीकृत मामले**  | **दोषसिद्धि दर**  | **पंजीकृत मामले**  | **दोषसिद्धि दर**  |
| 1 | आन्‍ध्र प्रदेश  | 1631 | 4.1 | 468 | 3.2 | 492 | 11.5 | 215 | 19.6 |
| 2 | अरूणाचल प्रदेश  | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 1 | - |
| 3 | असम | 40 | 13.0 | 92 | 33.3 | 170 | 33.8 | 188 | 28.6 |
| 4 | बिहार | 1893 | 21.9 | 2203 | 7.6 | 1182 | 25.8 | 1373 | 26.6 |
| 5 | छत्‍तीसगढ  | 11 | 50.0 | 8 | 50.0 | 109 | 28.6 | 128 | 43.8 |
| 6 | गोवा | 0 | - | 0 | - | 0 | 50.0 | 0 | - |
| 7 | गुजरात | 84 | 0.0 | 53 | 0.0 | 29 | 3.8 | 23 | 7.1 |
| 8 | हरियाणा  | 13 | 20.0 | 13 | 0.0 | 263 | 31.4 | 293 | 25.8 |
| 9 | हिमाचल प्रदेश  | 2 | 0.0 | 2 | - | 0 | 0.0 | 1 | 100.0 |
| 10 | जम्‍मू व कश्‍मीर  | 3 | - | 1 | 0.0 | 7 | 11.1 | 5 | 0.0 |
| 11 | झारखण्‍ड  | 1428 | 22.9 | 1538 | 34.5 | 307 | 44.4 | 350 | 39.5 |
| 12 | कर्नाटक  | 1693 | 2.8 | 1730 | 3.1 | 277 | 16.4 | 313 | 9.6 |
| 13 | केरल | 3 | 100.0 | 3 | - | 21 | 16.7 | 28 | 0.0 |
| 14 | मध्‍य प्रदेश | 72 | 58.1 | 113 | 23.2 | 776 | 32.5 | 733 | 46.2 |
| 15 | महाराष्‍ट्र  | 43 | 13.9 | 39 | 40.0 | 320 | 8.1 | 279 | 9.6 |
| 16 | मणिपुर  | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 1 | - |
| 17 | मेघालय  | 0 | - | 1 | - | 2 | - | 1 | - |
| 18 | मिजोरम  | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
| 19 | नागालैण्‍ड  | 0 | - | 0 | - | 1 | - | 0 | - |
| 20 | ओडिशा  | 2014 | 10.9 | 646 | 2.2 | 395 | 12.9 | 441 | 11.0 |
| 21 | पंजाब | 3 | 66.7 | 5 | 33.3 | 126 | 55.0 | 90 | 44.7 |
| 22 | राजस्‍थान  | 57 | 33.3 | 12 | 66.7 | 453 | 44.1 | 408 | 39.5 |
| 23 | सिक्‍किम  | 0 | - | 0 | - | 0 | 50.0 | 0 | - |
| 24 | तमिलनाडु  | 305 | 20.0 | 292 | 29.7 | 118 | 24.1 | 95 | 28.5 |
| 25 | तेलंगाना  | - | - | 563 | 2.1 | - | - | 289 | 15.0 |
| 26 | त्रिपुरा  | 1 | - | 1 | - | 29 | 25.0 | 33 | 33.3 |
| 27 | उत्तर प्रदेश  | 1277 | 60.9 | 2133 | 49.8 | 2335 | 48.9 | 2469 | 48.7 |
| 28 | उत्‍तराखण्‍ड  | 0 | 0.0 | 104 | - | 43 | 54.4 | 38 | 41.7 |
| 29 | पश्‍चिम बंगाल  | 107 | 0.0 | 1 | 0.0 | 481 | 11.5 | 501 | 10.4 |
| 30 | अण्‍डमान और निकोबार  | 0 | - | 0 | - | 1 | - | 3 | - |
| 31 | चण्‍डीगढ  | 0 | 0.0 | 2 | - | 1 | 40.0 | 2 | 66.7 |
| 32 | दादर और नगर हवेली  | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
| 33 | दमन और दीव | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
| 34 | दिल्‍ली  | 15 | 50.0 | 13 | 0.0 | 144 | 40.2 | 153 | 38.6 |
| 35 | लक्षद्वीप | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
| 36 | पुद्दुचेरी  | 14 | 0.0 | 14 | - | 1 | - | 1 | - |
|  | कुल | **10709** | **14.7** | **10050** | **10.2** | **8083** | **32.3** | **8455** | **33.0** |

\*\*\*\*\*